

# राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

## आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)सं.प.अ./ 167 /2020


दिनांक : 08.12.2020

श्रीमती अजन्ता अग्रवाल (RJ0681), प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, भरतपुर को दिनांक 07.12.2020 से 24.12.2020 तक 18 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 06.12.2020 एवं 25.12.2020 से 01.01.2021 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री प्रेम सिंह धनवाल (RJ0610), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भरतपुर को श्रीमती अजन्ता अग्रवाल के उक्त अवकाश अवधि के दौरान अपने पद के कार्य के साथ-साथ प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, भरतपुर के पद का अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित किये जाने हेतु एतद्वारा पदस्थापित / नियुक्त कर निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं :-

1. ऐसे प्रकरणों, जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है और उच्चतर न्यायालयों द्वारा समयबद्ध निस्तारण के आदेश पारित हैं, का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जावे।
2. श्री प्रेम सिंह धनवाल (RJ0610), जिन्को प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, भरतपुर के अतिरिक्त कार्यभार के लिए नियुक्त किया गया है, को उक्त न्यायालय के कार्य का निस्तारण निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कम से कम 40% किया जाना आवश्यक है।

आज्ञा से




रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/50/2011/ 5556

दिनांक : 8.12.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भरतपुर को उनके पत्रांक 5409 दिनांक 04.12.2020 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती अजन्ता अग्रवाल (RJ0681), प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, भरतपुर।
4. प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, भरतपुर।
5. श्री प्रेम सिंह धनवाल (RJ0610), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भरतपुर।
6. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भरतपुर।
7. संबंधित कोषालय।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एम. (स्था.) शाखा रा.उ.न्या., जोधपुर।

  
सहायक रजिस्ट्रार